न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

वाद संख्या – 108/2018

अनवान

1. श्रीमति पुष्पा बाई पत्नि स्व0 श्री बिरदी लाल जी जाति तेली आयु बालिग निवासी मण्डेसरा हाल मुकाम मण्डावरा तहसील दिगोद जिला कोटा।
2. श्री लाल चन्द्र पिता स्व0 श्री बिरदी लाल जी जाति तेली आयु बालिग निवासी मण्डेसरा हाल मुकाम मण्डावरा तहसील दिगोद जिला कोटा।
3. श्रीमति लाड कंवर पुत्री स्व0 श्री बिरदी लाल जी जाति तेली आयु बालिग निवासी मण्डेसरा हाल मुकाम मण्डावरा तहसील दिगोद जिला कोटा।
4. श्रीमति नंदकंवर पुत्री स्व0 श्री बिरदी लाल जी जाति तेली आयु बालिग निवासी मण्डेसरा हाल मुकाम मण्डावरा तहसील दिगोद जिला कोटा।
5. श्रीमति कलावति पत्नि स्व0 कालू जी तेली आयु बालिग निवासी मण्डेसरा हाल मुकाम मण्डावरा तहसील दिगोद जिला कोटा।
6. श्रीमति पूजा पुत्री स्व0 कालू जी तेली आयु बालिग निवासी मण्डेसरा हाल मुकाम मण्डावरा तहसील दिगोद जिला कोटा।
7. सुश्री अंतिमा(नाबालिग) बबलायत माता श्रीमति कलावती पत्नि स्व0 कालू जी तेली आयु बालिग निवासी मण्डेसरा हाल मुकाम मण्डावरा तहसील दिगोद जिला कोटा।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय चित्तौडगढ
2. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0एक्ट एवं धारा 88 रा0टी0एक्ट

उपस्थित – श्री राहुल जैन प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 07.05.2026

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 बिरदी लाल पिता स्व0 रामनाथ जी तेली के खाते में ग्राम पाडल बंदा प0ह0 मण्डेसरा में खसरा नं 11/2 रकबा 2.16 है0 जमीन स्थित है इस जमीन पर बिरदी लाल जी को खातेदारी अधिकारी भी मिल चुके है। इस जमीन को बिरदी लाल जी व उसके वारिसान ने ही अंग मेहनत कर काबिज काश्त बनाया है, बाद में बिरदी लाल जी का निधन हो गया अभी भी इस जमीन पर वादिगण जो बिरदी लाल जी के कानूनी वारिसान है वे ही काबिज होकर काश्त कर नही है।

1. यह कि बिरदी लाल जी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार से है:–

बिरदी लाल (मृत)
↓
श्रीमति पुष्पा पत्नी
↓
कालू(मृत) | लालचन्द्र | लाड़कंवर | नंदकंवर
↓
कलावती पत्नि
↓
पूजा | अंतिमा

यह कि अभी रावतभाटा तहसील में सेटलमेंट का कार्य हुआ जिसमे बिरदी लाल जी के खाते की जमीन के नये नं 39, 40 दर्शाये गये है, लेकिन आराजी नं 39,40 में से 2.16 है0 जमीन बिलानाम सरकार दर्ज बता दी गई है जबकि इस जमीन पर हम वादीगण

ही काबिज होकर काश्त कर रहे है इस जमीन पर हमे सुखाधिकार भी प्राप्त है। ग्राम पाडल बंदा प०ह० मण्डेसरा की आराजी नं 39, 40 में से 2.16 है० जमीन की हम वादीगण के खाते किये जाने की घोषणा हेतु यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान मे पेश किया जा रहा है। दोनो प्रतिवादी गण राज्य सरकार के प्रतिनिधि है उन्हे धारा 80 दिवानी प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया गया लेकिन उन्होनें आराजी नं 39,40 में से 2.16 है० जमीन हम वादीगण के खाते नहीं की इसीलिए वाद पत्र न्यायालय श्रीमान मे पेश किया जा रहा है। अंत में वादीगण द्वारा निवेदन किया है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पाडल बंदा प०ह० मण्डेसरा की आराजी नं 39, 40 में से रकबा 2.16 है० जमीन का हम वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे इसी अनुरूप रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इन्द्राज किये जाने कि डिक्री फरमायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 04.05.2022 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बिन्दु संख्या 01, 02 वादी स्वयं सिद्ध करे तथा बिन्दु संख्या 3 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 7,8,9,10 कानूनी है। अंत में मुख्य कथन में निवेदन किया है कि प्रार्थी वगैरह के पिता बिरधीलाल पिता रामनाथ तेली के नाम पर पुरानी आराजी संख्या 11/2 रकबा 2.16है० भूमि दर्ज रिकार्ड होना बताया है तथा वर्तमान आराजी संख्या 39 व 40 में भूमि लेना चाहते है। मिलान खसरा अनुसार वर्तमान आराजी संख्या 39 व 40 के पुराने नम्बर 11मी. बनते है। अतः वाद खारिज योग्य है।

वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 दिवानी प्रक्रिया संहिता का पेश किया गया जिसे वादीगण द्वारा दिनांक 07.11.2024 को विड्रो कर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया गया। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 दि.प्र.सं. का विड्रो में खारिज किया गया।

न्यायालय द्वारा वाद पत्र में बिन्दुवार तनकियात कायम की गई। वादी द्वारा प्रकरण में साक्ष्य में वादीगण संख्या 3, 4, 5 की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए तथा वादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर शपथ पत्र के ताहिद में बयान गवाह दिए तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजो की प्रदर्श कराए।

हमने वाद पत्र पर वकील वादी के विद्वान अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी। वकील वादीगण ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि स्व० बिरदी लाल पिता स्व० रामनाथ जी तेली के खाते में ग्राम पाडल बंदा प०ह० मण्डेसरा में खसरा नं 11/2 रकबा 2.16 है. जमीन स्थित है इस जमीन पर बिरदी लाल जी को खातेदारी अधिकारी भी मिल चुके है। इस जमीन को बिरदी लाल जी व उसके वारिसान ने ही अंग मेहनत कर काबिज काश्त बनाया है, बाद में बिरदी लाल जी का निधन हो गया। वर्तमान में बिरदीलाल के हम वारिसान द्वारा ही उक्त भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है। रावतभाटा तहसील में सेटलमेंट का कार्य हुआ जिसमे बिरदी लाल जी के खाते की जमीन के नये नं 39, 40 दर्शाये गये है, लेकिन आराजी नं 39,40 में से 2.16 है० जमीन बिलानाम सरकार दर्ज बता रही है जबकि इस जमीन पर हम वादीगण ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। ग्राम पाडल बंदा प०ह० मण्डेसरा की आराजी नं 39, 40 में से रकबा 2.16 है० जमीन का हम वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे इसी अनुरूप रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इन्द्राज किये जाने कि डिक्री फरमायी जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने जवाब में वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकर कर निवेदन किया कि प्रार्थी वगैरह के पिता बिरधीलाल पिता रामनाथ तेली के नाम पर पुरानी आराजी संख्या 11/2 रकबा 2.16है० भूमि दर्ज रिकार्ड होना बताया है तथा वर्तमान आराजी संख्या 39 व 40 में भूमि लेना चाहते है। मिलान खसरा अनुसार वर्तमान आराजी संख्या 39 व 40 के पुराने नम्बर 11मी. बनते है। अतः वाद खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं वादी पक्ष के विद्वान अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर प्रकरण में कायम वाद बिन्दू निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते हैं।

तनकी नंबर –1

आया वादी क्या वादीगण बरदीलाल के कानूनी वारिसान विवादित भूमि पर कायम होकर काश्त कर रहे है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण द्वारा वाद पत्र की ताहिद मे साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किये तथा स्वयं न्यायालय मे उपस्थित हो बयान गवाह दिए तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजों को प्रदर्श कराए। वादीगण संख्या 1, 2 द्वारा बयान में निवेदन किया है कि ग्राम पाडलबंदा प0ह0 मण्डेसरा में खसरा संख्या 11/2 रकबा 2.16है0 जमीन स्थित है इस जमीन पर बिरदीलाल जी को खातेदारी मिल चुके है। रावतभाटा में सेटलमेंट का कार्य हुआ जिसमें बिरदीलाल जी के खाते की जमीन के नये नम्बर 39, 40 दर्शाये गये है लेकिन आराजी संख्या 39, 40 मे से 2.16 है0 भूमि बिलानाम सरकार दर्ज बता दी गई है जबकि उक्त जमीन पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतः ग्राम पाडल बंदा प0ह0 मण्डेसरा की आराजी संख्या 39, 40 में से 2. 16है0 जमीन की हम वादीगण के खाते किये जाने की घोषणा की जावें। वादीगण द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2056–59 खाता संख्या पुराना 18 ग्राम पाडलबंदा प0ह0 मण्डेसरा भू.अ. नि. बोराव की पेश की जो प्रदर्श–1 है। अवधि बंदोबस्त सम्वत 2061–81 पत्रावली में शामिल है। जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या नया 01 व पुराना 01 ग्राम पाडलबंदा प0ह0 मण्डेसरा की जमाबंदी प्रदर्श–2 है, किन्तु वादीगण द्वारा कब्जे काश्त (सेटलमेंट के पश्चात धारा–91 का नोटिस, पी–14 इत्यादि) करने संबंधित किसी प्रकार के कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किए है, जिससे वादीगण का कब्जा साबित हो सकें, साथ ही अवधि बंदोबस्त में सेटलमेंट अधिकारी द्वारा कब्जा नहीं होने का अंकन किया गया है। पुराना खसरा संख्या 11/2 विभाजित होकर 39 व 40 बना है, इसका कोई अभिलेखीय प्रमाण नहीं है, जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर –2

आया वादीगण क्या बदरीलाल पुराने खसरा संख्या 11/2 मौजा पाडलबंदा का खातेदार था जो नवीन सेटलमेंट के बाद नम्बर परिवर्तन होकर 39, 40 रकबा 2. 16है0 हो गया है जो बिलानाम दर्ज हुआ है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने विवादित आराजीयात के संबंध में बयान के दौरान ग्राम पाडलबंदा प0ह0 मण्डेसरा की जमाबंदी सम्वत 2056–59 की खाता संख्या 18 आराजी संख्या 11/2 रकबा 2.16है0 जो कि वादीगण के पिता व पति स्व बिरदीलाल के नाम दर्ज है, जो प्रदर्श–1है तथा जमाबंदी सम्वत् 2070–73 ग्राम पाडलबंदा प0ह0 मण्डेसरा की खाता संख्या 01 जिसमें खसरा संख्या 39, 40 होकर बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श–2 है, किन्तु तहसीलदार रिपोर्ट में आराजी संख्या 39, 40 गत नम्बर 11मी. से बना हुआ है (मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति सलंग्न है) उक्त आराजीयात खातेदारी की घोषणा/कम हुए रकबे की पूर्ति करने का निवेदन किया है तथा वादीगण द्वारा चाही गई खातेदारी घोषणा संबंधित आराजी संख्या 39, 40 का स्पष्ट अंकन भी नहीं है कि वादीगण के गत आराजी से ही उक्त आराजीयात बने है तथा वादीगण का कुल रकबा व आराजी संख्या 39, 40 का रकबा भी मिलान नहीं हो रहा है। वादीगण अपने पुराने व नये नम्बरान, रकबा का मिलान क्षेत्रफल अनुसार मिलान कराने में असफल रहे तथा नये पुराने नक्शें व खसरा गिरधावरी भी पेश करने में असफल रहे। अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण साबित करा पाने में असफल रहने से बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

तनकी नंबर –3

आया वादी क्या वादीगण मौजा पाडमबंदा की आराजी संख्या 39, 40 में से 2.16है0 जमीन पर खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने के हकदार है।1

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण अपने पुराने व नये नम्बरान, रकबा का मिलान क्षेत्रफल अनुसार मिलान कराने में असफल रहे तथा नये, पुराने नक्शें व खसरा गिरधावरी, कब्जे संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश करने में असफल रहे। वादीगण द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य व दस्तावेजों के अभाव में उक्त तनकी को साबित कराने में असफल रहा है, अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी साबित करा पाने में असफल रहने से बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर –4

आया वाद क्या पुराने आराजी संख्या 11/2 रकबा 2.16है0 का मिलान क्षेत्रफल नवीन खसरा संख्या 39, 40 से नहीं होने से वाद खारीज योग्य है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा पत्रावली में शामिल मिलान क्षेत्रफल अनुसार नये व पुराने खसरा मिलान नहीं होने का निवेदन किया है। अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी साबित करा पाने में असफल रहने से बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अनुतोष –

पत्रावली में शामिल दस्तावेजों व वकील वादीगण के बहस के दौरान की दलीलों का मनन किया गया। वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में कथन प्रस्तुत करते हुए ग्राम पाडलबंदा प0ह0 मण्डेसरा में खसरा संख्या 11/2 रकबा 2.16है0 जमीन स्थित है इस जमीन पर बिरदीलाल जी को खातेदारी मिल चुके है। रावतभाटा में सेटलमेंट का कार्य हुआ जिसमें बिरदीलाल जी के खाते की जमीन के नये नम्बर39, 40 दर्शाये गये है लेकिन आराजी संख्या 39, 40 मे से 2.16है0 भूमि बिलानाम सरकार दर्ज बता दी गई है जबकि उक्त जमीन पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतः ग्राम पाडल बंदा प0ह0 मण्डेसरा की आराजी संख्या 39, 40 में से 2.16है0 जमीन की हम वादीगण के खाते किये जाने की घोषणा की जावें। वादीगण द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2056–59 खाता संख्या पुराना 18 ग्राम पाडलबंदा प0ह0 मण्डेसरा भू.अ.नि. बोराव की पेश की जो प्रदर्श–1 है। अवधि बंदोबस्त सम्वत 2061–81 पत्रावली में शामिल है। जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या नया 01 व पुराना 01 ग्राम पाडलबंदा प0ह0 मण्डेसरा की जमाबंदी प्रदर्श–2 है, किन्तु तहसीलदार प्रतिवेदन से यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि वादीगण की गत आराजी संख्या 11/2 से वर्तमान आराजी संख्या 39, 40 खसरे निर्मित हुए हैं इसका मिलान क्षेत्रफल अनुसार मिलान नहीं हो रहा है आराजी संख्या 39, 40 जो वर्तमान नम्बर है, उक्त नम्बर पुराने नम्बर 11मी. से निर्मित हुए है, जबकि वादी द्वारा वर्तमान आराजी संख्या 39, 40 जो कि गत आराजी संख्या 11 मी. से निर्मित होना पाया गया है, के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं कम हुई आराजीयात की पूर्ति का निवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा जिन आराजीयात संख्या 39 एवं 40 के संबंध में खातेदारी घोषणा चाही गई है, उनके संबंध में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका कि उक्त आराजीयात वादीगण की मूल गत आराजी संख्या 11/2 से ही निर्मित हुई हैं। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल एवं अभिलेखीय साक्ष्यों में भी वादीगण के पुराने एवं नवीन खसरा नम्बर तथा रकबे का स्पष्ट सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया। साथ ही वादीगण के कुल रकबे एवं दावा की गई आराजीयात के रकबे में भी असंगति पाई गई। वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त एवं स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण अपने दावे को विधिसम्मत रूप से सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

वादी अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित करा पाने में असफल रहने से वादी ग्राम पाडलबंदा पटवार हल्का मण्डेसरा की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खसरा संख्या 39, 40 कुल किता 02 भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी व दुरूस्ती किये जाने के अधिकारी नहीं पाए जाते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में आवश्यक तथ्य एवं साक्ष्य पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं पाया गया व वाद पोषणीय नहीं है तथा वादीगण अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहे है।

—:आदेश:—

अतः समस्त अभिलेखों, साक्ष्यों एवं उपलब्ध प्रतिवेदनों के सम्यक् परीक्षण उपरांत वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए. व धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट के अंतर्गत कोई राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं से वादीगण का वाद उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद पत्र निरस्त (खारिज) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हों।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे।

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)